प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक : 2092 / खनिज–30, बाँदा   दिनांक : अगस्त 24 ,2022

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–410/2022 अविनाश कुमार राय बनाम मिनीस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फारेस्ट एण्ड क्लाईमेंट चेन्ज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0–410/2022 अविनाश कुमार राय बनाम मिनीस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फारेस्ट एण्ड क्लाईमेंट चेन्ज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"In the meanwhile no mining shall be commenced in any of the mining sites before completion of replenishment study of rivers of District Banda which is being conducted by C.M.P.D.I and grant of environmental clearance/CTE/CTO on the basis thereof. The District Magistrate and Superintendent of Police, District Banda shall take requisite steps for ensuring that no illegal mining takes place on the basis of any lease agreement pursuant to advertisement dated 06.04.2022 before completion of replenishment study and grant of environmental clearance/CTE/CTO on the basis thereof."

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में आख्या बिन्दुवार निम्नवत है :–

1. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में दी गयी शर्तो के क्रम में मानसून अवधि में खनन पट्टो में बालू/मोरम खनन कार्य पूर्णतः बंद है तथा अधिक वर्षा के कारण नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है एवं खनन क्षेत्र जलमग्न है, जिसके कारण वर्तमान में उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन नही हो रहा है।
2. मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विज्ञप्ति दिनांक 06.04.2022 के क्रम में खनन पट्टा स्वीकृत के सम्बन्ध में लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गमन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही नही की गयी है।
3. मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–140/2021 राजकुमार व 141/2021 रामकरनकर्न बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0–2063/खनिज–30 बांदा दिनांक 11.10.2021 द्वारा जनपद बांदा स्थित केन, यमुना व बागे नदी के खनन क्षेत्रों के replenishment study संस्था Central Mine Planning and Design Institute Ltd (CMPDI), Ranchi, a Sunsidiary of Coal India Ltd, a public sector undertaking of Govt. of India द्वारा किया जा रहा है। उक्त संस्था के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा replenishment study सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 31.12.2022 तक दिये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

24/8

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
बाँदा।